राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांकः- प.6(19)राज-6/92पार्ट /10 जयपुर,दिनांकः- 16-6-2000

प्रेषितः समस्त जिला कलेक्टर,राजस्थान ।

-: प रि प त्र :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 एवं उसके तहत बने विभिन्न आवंटन नियमों में भूमि का आवंटन किया जाता है । कुछ नियमों में उक्त आवंटन भूमि की प्रचलित बाजार दर या इण्डेक्स प्राइस पर किया जाता है । राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि आवंटन अधिकारी द्वारा भूमि की प्रचलित बाजार दर या सूचकांक [illegible] सिंचित भूमि या कृषि योग्य भूमि के आधार पर उच्चतर दर पर किया जाता [illegible] जबकि आवंटन की जाने वाली भूमि मौके पर बंजर या गैरमुमकिन होती है । इससे आवंटियों में अनावश्यक कीमत के प्रति रोष रहता है ।

अतः इस संबंध में निर्देश दिये जाते हैं कि भूमि की कीमत निर्धारित करते समय आवंटन की जाने वाली भूमि की मौके पर स्थित किस्म के अनुसार समकक्ष किस्म की पड़ौस की भूमि दर को आधार माना जाये एवं अनावश्यक तौर से सिंचित या उपजाऊ भूमि की दर न लगायी जाये ।

(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः- निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को सूचनार्थ प्रेषित है ।

शासन उप सचिव 14/6/2000

मनोज/